बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले पॉकेटमार गिरोह का भंडाफोड़

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मई. डबरा सिटी पुलिस ने बुजुर्गों को लिफ्ट देने के बहाने लूटने और जेब काटने वाले एक शातिर पॉकेटमार गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला ऑटो जब्त किया है।

लिफ्ट देने के बहाने करते थे शिकार– पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। आरोपी ऑटो या मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुजुर्गों को देखते थे। फिर उन्हें गंतव्य तक छोड़ने या लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ बैठा लेते थे। ऑटो में पहले से ही इनके साथी सवारी बनकर बैठे रहते थे, जो मौका मिलते ही बुजुर्ग की जेब से पैसे और जरूरी दस्तावेज (आधार कार्ड आदि) पार कर देते थे। वारदात के बाद आरोपी उन्हें बीच रास्ते उतारकर शहर से बाहर भाग जाते थे।

दो अंतरराज्यीय लुटेरे गिरफ्तार

घेराबंदी कर दबोचे गए आरोपी– थाना प्रभारी डबरा सिटी उनि. संजय शर्मा की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। आज 5 मई को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी झांसी रोड स्थित गणेश धर्मकांटा के पास किसी सवारी के इंतजार में खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर धर्मेंद्र अहिरवार और जितेन्द्र अहिरवार (दोनों निवासी झांसी, यूपी) को गिरफ्तार कर लिया।

3 बड़ी वारदातों का खुलासा, नकदी बरामद– पूछताछ में आरोपियों ने डबरा क्षेत्र में हाल ही में हुई तीन बड़ी वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। 17 मार्च को ग्राम भदौना निवासी रतनसिंह रावत के 27,000 रुपये और दस्तावेज चोरी किए। 15 अप्रैल को लायकराम जाटव को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर 65,000 रुपये पार किए। 9 अप्रैल को भगवनदास बाथम से बैंक से पैसे निकालकर जाते समय 77,000 रुपये की चोरी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,200 रुपये नकद और वारदात में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार के खिलाफ पहले भी लूट और डकैती के दो मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने किया आगाह

पुलिस ने आमजन, विशेषकर बुजुर्गों से अपील की है कि वे अनजान व्यक्तियों से लिफ्ट न लें और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते समय अपनी नकदी व कीमती सामान के प्रति सजग रहें।

9 मई से शुरू होगा पांच दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मई. विश्वगीता प्रतिष्ठानम् एवं सिद्ध पीठ गंगादास की बड़ी शाला के संयुक्त तत्वाधान में पंचदिवसीय 'गीता ज्ञान यज्ञ' का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आध्यात्मिक समागम आगामी 9 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। संस्थान की ओर से सभी धर्मप्रेमी जनता से इस ज्ञान यज्ञ में सपरिवार सम्मिलित होने की अपील की गई है।

गीता मनीषी करेंगे श्लोकों की व्याख्या– जिला संयोजक अभिषेक द्विवेदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रख्यात गीता मनीषी डॉ. विष्णु नारायण तिवारी अपनी व्यास पीठ से श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों की गहन व्याख्या करेंगे। कथा का समय प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। भक्तों के लिए यह अवसर गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का होगा।

अखंड पाठ और कार्यशाला का विशेष आयोजन– आयोजन के अंतिम दिन यानी 13 मई को अखंड पाठ, हवन एवं विशेष प्रवचन होंगे। इसके अगले दिन, 14 मई को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गीता के व्यावहारिक जीवन में उपयोग पर चर्चा की जाएगी।

इनका कहना है...

भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है गीता : महंत राम सेवक दास बड़ी शाला के महंत राम सेवक दास महाराज ने इस अवसर पर अपना संदेश देते हुए कहा कि, गीता भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है। यह वह अद्वितीय ग्रंथ है जो मनुष्य के मन के विषाद (दुख) का हरण कर उसे निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करती है। वर्तमान समय में गीता का ज्ञान हर वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है।

लक्ष्मीगंज मरघट के पीछे से एक पकड़ा

ग्वालियर 5 मई. लक्ष्मीगंज मरघट के पीछे एक व्यक्ति होंडा एक्टिवा लिए अवैध शराब लेकर गोल पहाडिया तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने लक्ष्मीगंज मरघट के पीछे वाली रोड़ पर एक व्यक्ति को एक्टिवा सहित पकड़ लिया। चेक करने पर आरोपी के पास से एक नीले रंग के राजश्री लिखे थैले एवं उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कट्टा तथा एक्टिवा की डिग्गी में देशी मदिरा प्लेन के कुल 350 क्वार्टर कीमती लगभग 28 हजार रूपये के रखे मिले। उक्त एक्टिवा के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सूरज नामदेव पुत्र स्व. कमलेश नामदेव उम्र 33 साल निवासी फोर्टव्यू कॉलौनी कोटेश्वर लश्कर ग्वालियर तथा स्थाई निवास पंचबीघा कप्तान गली जौरा जिला मुरैना होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

तिवारी 'सर्वश्रेष्ठ लायन लीडर' अवार्ड से सम्मानित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मई. समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233–ई–1 की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर के वरिष्ठ समाजसेवी लायन हेमेंद्र तिवारी को एक विशेष सम्मान से नवाजा गया।

समारोह में उन्हें उनके उत्कृष्ट समर्पण और उल्लेखनीय सामाजिक योगदान के लिए 'राजेश बनवारी स्मृति सर्वश्रेष्ठ लायन लीडर अवार्ड' प्रदान किया गया। ?यह सम्मान उन्हें लायंस क्लब के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के कर–कमलों द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य रूप से प्रान्तपाल सुधीर बाजपेई, इंटरनेशनल डायरेक्टर पंकज मेहता, वॉइस एरिया लीडर कुलभूषण मित्तल और पूर्व प्रांतपाल नितिन मांगलिक उपस्थित रहे।

समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ाया ग्वालियर का मान

पूरे प्रांत के लिए गर्व का क्षण– डिस्ट्रिक्ट सेक्रेट्री रमेश श्रीवास्तव ने बताया कि ?हेमेंद्र तिवारी को मिला यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे प्रान्त के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपनी निष्ठा और सक्रियता से यह सिद्ध किया है कि यदि संकल्प नेक हो, तो सेवा के माध्यम से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में क्लब ने कई महत्वपूर्ण सेवा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा है। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष रामकिशन सिंघल, पीआरओ जुबेर रहमान, पूर्व आरसी सुनील शर्मा, संदीपा मल्होत्रा एवं अजय सपरा, ज्योति अग्रवाल सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

हाजिरी विलम्ब से भेजने पर 9 वार्ड हेल्थ ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस

ग्वालियर 5 मई. आउटसोर्स सफाई श्रमिकों की हाजिरी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर 9 वार्ड हेल्थ ऑफीसर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी नोटिस अनुसार बताया कि वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 3 रवि सिहोते, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 8 गब्बर, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 21 वीर सिंह, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 29 देवेन्द्र, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 30 रविन्द्र करोसिया, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 32 पिंकल जादों, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 47 अरूण खरे, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 51 हरिप्रसाद, वार्ड हेल्थ ऑफिसर वार्ड 60 विक्रम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

धर्म रक्षा के लिए अवतरित होते हैं भगवान–संत रामप्रसाद

ग्वालियर–संत रामप्रसाद महाराज ने लक्ष्मीगंज स्थित रामद्वारा में चल रही श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ में चौथे दिन मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा जब–जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती हैं, साधु और सज्जनों को कष्ट होता है, पापियों का अत्याचार बढ़ता है, तब अपने भक्तों का कल्याण करने व धर्म की रक्षा के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लेकर धरती को कंस, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल जैसे पापियों के बोझ से मुक्त करवाकर धर्म की स्थापना करें।संत श्री ने आगे कहा की जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता।' नारी का सम्मान संसार में होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान को भी जन्म लेने नारी की कोख की जरूरत होती है। कंस ने देवकी को प्रताड़ित किया और उसकी सात निरपराध संतानों को मारा। उन्हीं माता देवकी से भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने कंस का वध कर धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। जिस घर में जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नारी को प्रताड़ित किया जाता है वह नष्ट हो जाता है। रावण ने सीता का हरण किया, उसका सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, उसका कुल नाश हो गया। दूसरी ओर नारी को भी अपनी मर्यादाओं में रहकर कार्य करना चाहिए.

CHANGE OF NAME

I, Army No. JC 584675L Rank- Nb Sub Name- Sanjay Kumar Presently residing at Tehsil - Nowshera, Dist - Rajouri, Post office - Chowki, Pin No.185151 State- J&K have changed my name from **SHUBAN** to **SHUBAM CHOUDHARY** vide affidavit No. CB 845370 Dated 05.05.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं No. 15581712P Rank-L/NK Name-Vikram Kumar, Unit- 8 DSC PL att to COD Agra Pin-908820, C/o 56 APO, निवासी वार्ड नं. 21. हनुमान नगर, भिण्ड रोड़, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) सूचित करता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्ड में पुत्री का नाम **ANUSHKA** दर्ज है जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पुत्री का सही नाम **ANUSHKA MOROLIYA** दर्ज है अत: मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्ड में पुत्री नाम **RIDDIMA ANUSHKA MOROLIYA** को दर्ज किया जावे। सत्यापित शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 02.05.2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं No. 15581712P Rank-L/NK Name-Vikram Kumar, Unit- 8 DSC PL att to COD Agra Pin-908820, C/o 56 APO, निवासी वार्ड नं. 21. हनुमान नगर, भिण्ड रोड़, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) सूचित करता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्ड में पुत्री का नाम **RIDDIMA** दर्ज है जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पुत्री का सही नाम **RIDDIMA MOROLIYA** दर्ज है अत: मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्ड में पुत्री नाम **RIDDIMA MOROLIYA** को दर्ज किया जावे। सत्यापित शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 02.05.2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं No. 15581712P Rank-L/NK Name-Vikram Kumar, Unit- 8 DSC PL att to COD Agra Pin-908820, C/o 56 APO, निवासी वार्ड नं. 21. हनुमान नगर, भिण्ड रोड़, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) सूचित करता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्ड में पुत्री का नाम **SHIDDI** दर्ज है जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पुत्री का सही नाम **SIDDHI MOROLIYA** दर्ज है अत: मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं स्कूल रिकोर्डमें पुत्री नाम **SIDDHI MOROLIYA** को दर्ज किया जावे। सत्यापित शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 02.05.2026

एक साल से अटके पुलिया निर्माण ने छीना रास्ता

ग्वालियर 5 मई. शहर के एक बड़े इलाके के लगभग 50 हजार परिवारों का जीना मुहाल हो गया है। सिन्धी पेट्रोल चौराहे से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर चल रहा पुलिया निर्माण कार्य अब स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। आलम यह है कि एक साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, उल्टा रास्ते की दूसरी साइड को भी खोदकर आवागमन पूरी तरह ठप्प कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस कार्यप्रणाली ने हजारों लोगों को उनके घरों में ही कैद होने पर मजबूर कर दिया है। इस मार्ग पर न केवल घनी आबादी वाली कॉलोनियां हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर भी स्थित हैं। रास्ता बंद होने से बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने, बच्चों को स्कूल भेजने और महिलाओं व सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक पहुँचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।सबसे ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर है कि प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) की व्यवस्था नहीं की। संकरी गलियों और खुदे हुए रास्तों से गुजरना

जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रशासन रास्ता नहीं खोल सकता, तो इस क्षेत्र के सभी सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों को एक महीने के लिए बंद कर छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अब असंभव सा हो गया है।क्षेत्र के आक्रोशित परिवारों ने अब आर–पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कॉलोनी वासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला, तो वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को विवश होंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि किसी भी अधिकारी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा होगा और आम जनता को इस नरक जैसी स्थिति से कब निजात मिलेगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द संज्ञान लेने और रास्ता बहाल करने की मांग की है।

कथा स्थल का पूजन 6 मई को

ग्वालियर । संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा का भूमि पूजन 6 में को प्रात: 11:00 बजे कबीर आश्रम थाटीपुर मुरार में किया जा रहा है। यह जानकारी पुरुषार्थ सेवा फाउंडेशन ग्वालियर के मंत्री मनीष राजोरिया ने दी

नाम संशोधन सूचना

पूर्व पासपोर्ट/ 10th मार्कशीट मे मेरा नाम "अशोक कुमार पुत्र रामरूप चतुर्वेदी" अंकित है, जबकि आधार अनुसार मेरा पूरा नाम अशोक कुमार चतुर्वेदी पुत्र रामरूप चतुर्वेदी है भविष्य मे मुझे मेरे पुरे नाम अशोक कुमार चतुर्वेदी पुत्र रामरूप चतुर्वेदी, निवासी B-38, जानकीनगर, चुनाभट्टी, भोपाल के नाम से जाना जाए

CHANGE OF NAME (SPOUSE)

I, **RAKSHA PANDEY is legally wedded Spouse of SHAILESH KUMAR PANDEY** Residing at AIR FORCE STATION MAHARAJPUR, GWALIOR (M.P.) have changed my name from **RAKSHA PANDEY** to **RAKSHA MISHRA**

Vide Affidavit No. DM 802005 Dated 04-05-2026. Before District Court, Gwalior (M.P).

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumari is mother of Army No. 13771189Y HAV Anil Kumar presently residing at Village – Nanglian Chak, Post Office – Kandrori, Tehsil – Indora, District – Kangra, State – Himachal Pradesh, Pin – 176402, inform that in my son service record my name is entered SATISH KUMARI which is wrong, In all documents my name is SATISH DEVI (DOB-06-Nov-1962) including my Aadhar card. In future, my name should be depicted as SATISH DEVI in all documents and service records via affidavit no: BX 607673 Date: 04/05/2026

CHANGE OF NAME

I, Dharu Ram, Army No. JC-710238A Rank- Nb Sub son of Kashiram presently Residing at 436, Fd Hospital Morar Cantt , Gwalior Pincode- 474006 (Address) inform that in my service record my mother name is entered SAVIEE DEVI which is wrong, In all documents my mother's name is SOHANI DEVI including Aadhar card In future, her name should be depicted as SOHANI DEVI in all documents and service records via affidavit No. BX 370566 Date- 05/05/2026

CHANGE OF NAME & DOB

I, PINTU KUMAR SINGH (Unit-13 JAK RIF) Army Number- 13766077P Rank-HAV Son of Late BIDYA SINGH presently residing at Village- Belahi, Post-Bhawrajpur, Tehsil- Siwan, Dist.- Siwan, State- Bihar, Pincode - 841231 (Address) inform that I have changed my mother's Name and date of birth from SARDA DEVI & DOB 20-01- 1957 to SHARDA DEVI & DOB 01-01 -1950) vide Affidavit No. BX 606227 Dated- 04.05.2026 Gwalior (M.P.)

आरजेएन अपोलो में गंभीर बहु–जटिलताओं से जूझ रहे मरीज को मिली नई जिंदगी

ग्वालियर 5 मई. एक अत्यंत गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुए मरीज को विशेषज्ञ चिकित्सकों की समन्वित एवं त्वरित देखरेख से सफलतापूर्वक नई जिंदगी दी गई। मरीज पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ और शॉक की स्थिति में अस्पताल पहुंचा था। जांच के दौरान उसे सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का निदान हुआ।

स्थिति को और जटिल बनाते हुए मरीज में अनियंत्रित हाई ब्लड शुगर के साथ गंभीर मेटाबॉलिक एसिडोसिस पाया गया, जिसकी पुष्टि आगे चलकर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के रूप में हुई। इसके अतिरिक्त मरीज में गंभीर हाइपरनैट्रेमिया तथा एक्यूट किडनी इंजरी भी मौजूद थी, जिससे यह केस अत्यंत उच्च जोखिम वाला बन गया।

मरीज की तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत इलेक्टिव इंट्यूबेशन कर मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया। इसके बाद एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम द्वारा उपचार शुरू किया गया, जिसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जल सिंह, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. आबिद, डॉ. प्रखर, डॉ. आदित्य और डॉ. अतुल, तथा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. जितेंद्र शामिल थे।

उपचार के दौरान मरीज को सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से फ्लूड रीससिटेशन (डूब्कूष्ट मॉनिटरिंग के साथ), आरंभिक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी (डायलिसिस), सख्त ग्लाइसेमिक कंट्रोल और उपयुक्त इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दिए गए।

आम सूचना

आवेदिका भगवती देवी कुशवाह पत्नी श्री महेश कुशवाह, निवासी - बेलदारपुरा, व्यास भवन के सामने, तारागंज, लश्कर, गिर्द, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक प्लॉट क्रमांक 20 एवं 21 का भाग जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है जो वार्ड क्रमांक 65, सर्वे क्रमांक 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225/1 व 1256/1 ग्राम गिरवई, लश्कर, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है तथा जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में - रोड, पश्चिम में - प्लॉट क्र. 18 व 23 का भाग, उत्तर में- प्लॉट क्र. 19 व दक्षिण में- प्लॉट क्रमांक 21 का भाग, है। आवेदिका ने उक्त संपत्ति प्लॉट के रूप में पूर्व स्वामी रघुवीर सिंह कुशवाह पुत्र श्री मोहनलाल कुशवाह द्वारा मुख्त्यारआम से जयें रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पंजी. क्रमांक एमपी21 आईजीआर17402025ए100555071 व पंजी. दि. 02.07.2025 के द्वारा क्रय की। पूर्व स्वामी रघुवीर सिंह कुशवाह के अलावा उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि के एक अन्य सह स्वामिनी उनकी बहन परबो बाई है यद्यपि आवेदिकानुसार उनके द्वारा कोई आपत्ति बिक्रय में नहीं की है चूंकि आवेदिका का ऋण आवेदन मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था के विचाराधीन है तथा उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है। यदि उक्त सर्वे क्रमांक के सहस्वामिनी को तथा/अथवा किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय आदि को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग को बंधक किये जाने में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी माध्यम से हो और वह अपना अधिकार, दावा या आपत्ति करता/रखता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के इस नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर लिखित रुप में प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् ऋण आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार ऋणप्रदाता द्वारा बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा ऋणप्रदाता पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो। इति दिनांक: 05.05.2026

प्रेषक- **गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)**
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, एक आवासीय भू–खण्ड क्रमांक 53 जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है जो सर्वे क्रमांक 50 राजस्व ग्राम तिघरा पटवारी हल्का क्रमांक 91 का भाग होकर ग्राम तिघरा, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है : पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम में–प्लॉट क्रमांक 54, उत्तर में – प्लॉट क्रमांक 52, दक्षिण में–आम रास्ता स्थित है जिसे आवेदक श्री राकेश बाथम पुत्र श्री रामभगत बाथम निवासी ग्राम धनेला, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पति श्री रामसेवक मावई पुत्र श्री केशव सिंह जाति गुर्जर निवासी जयनगर चखूटी, नूराबाद, जिला मुरैना, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र ई–पंजीयन क्रमांक MP25792018A1797617 से दिनांक 10/12/2018 को क्रय कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सम्पत्ति के पूर्व विकेतागण उक्त सर्वे संख्यांक की सम्पत्ति को अन्य सह–स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करते थे तथा उनके द्वारा अपने भाग की भूमि का विक्रय आवेदक के विक्रेता श्री रामसेवक मावई के पक्ष में निष्पादित किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 06 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44. कैलाश विहार, सिटी सेंटर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रात: 11.00 से सांय 05.00

आम–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार श्री कुमेर राठौर पुत्र श्री मस्तराम निवासी अतर छला पो. हदरुख जिला जालौन उ.प्र. के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की उक्त अचल संपत्ति प्लॉट जो कि ग्राम मउ परगना व जिला ग्वालियर म.प्र. में स्थित है। जिसका म्यु वार्ड क्रमांक 63 जो कि ग्राम मउ के भूमि सर्वे क्रमांक 766 के भाग स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्गफुट यानि 87.36 वर्गमीटर है। जिसकी चतुरसीमा निम्न प्रकार है। पूर्व में रास्ता आम, पश्चिम में प्लॉट दीगर, उत्तर में प्लॉट चतुर सिंह कुशवाह, दक्षिण में मकान गोरव राठौर है। उक्त वर्णित संपति को मुझ पक्षकार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ई-पंजीयन क्रमांक एमपी 142592024ए 11054635 दिनांक 23.08.2024 को विक्रेता श्रीमती सविता भदौरिया पत्नी श्री राजकिशोर सिंह भदौरिया से 940 वर्गफुट क्षेत्रफल क्रय किया था। यहकि उक्त वर्णित संपति को मुझ विक्रेता के पूर्व विक्रेता श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री प्रयाग सिंह भदौरिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ई–पंजीयन क्रमांक एमपी 142592019ए 1426016 दिनांक 19.06.2019 को श्री रामसिंह पटेल पुत्र श्री बिहारी से क्रय किया था। यहकि उक्त वर्णित बावत सह भूस्वामी श्री राम सिंह पटेल के पारिवारिक सदस्य श्री जगन्नाथ पुत्र श्री विहारी एवं श्रीमती जानकी पत्नी स्व. श्री बिहारी को श्री रामसिंह पटेल के द्वारा विक्रय की गई संपति बावत या किसी व्यक्ति या पूर्व विक्रेतागण के अन्य किसी पारिवारिक सदस्य या बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को मेरे पक्षकार की क्रयशुदा संपति बावत कोई उज्ज व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज व आपति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरे पक्षकार हाउसिंग लोन की सुविधा आई.सी.आई.सी.आई एच.एफ.सी. से आवंटित करा रहा है, जो सुचित हो ।

दिनांक 05.05.2026
स्थान : ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: agmhkmp@fci.gov.in

क्र. आरओ एमपी–11042/1/2024–एचके–आरओ एमपी | दिनांक: 04.05.2026

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक NIT दिनांक 16.03.2026 (GeM Bid No.-GEM/2026/B/7361830), जिसमें पंजीकृत MSE (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) बोलीदाताओं को EMD जमा करने से छूट दी गई है। अब, इसके अतिरिक्त, DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त Startups को भी EMD जमा से छूट प्रदान की जाती है। NIT दिनांक 16.03.2026 के अन्य शर्तें और नियम अपरिवर्तित रहेंगे। किसी विवाद की स्थिति में शुद्धिपत्र का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये **मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी** निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्याः झाँसी-इन्जी.-ई-2026-94

कार्य का नामः मेन्टेनेंस ऑफ न्यूली लेड डबलिंग ट्रैक इन बेलाताल-कुलपहाड़ सेक्शन फॉर 18 माह अंडर झाँसी-खैरार डबलिंग प्रोजेक्ट।

अनुमानित लागतः ₹ 3131865.00 | **अमानत राशिः** ₹ 62600.00

निविदा बन्द होने की तिथिः 25.05.2026 at **15.00** hrs.

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 18 माह

- निविदा दिनांक **25.05.2026** को **15.00** बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे।
- पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

972/26 FA

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) को पढ़ें। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक्त नियमों के नियम 3 को पढ़ें के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उनको जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे इंगित राशियों का भुगतान करें उधारकर्ता(ओं) का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा निम्नानुसार है:-

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्रीमान मन बहादुर श्रीमती सीता देवी (प्रोस्पेक्ट नं. IL10528654)	15 अप्रैल 2026, रू. 1184645/- (ग्यारह लाख चौरासी हजार छह सौ पैंतालीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो निम्नलिखित है: एमयू क्रमांक 3566, प्रीतमपुर कॉलोनी, गली क्र.4, वार्ड क्र.52, सीरियल क्रमांक 204, 205, ग्राम गुडा बिरगड़िया, परगना और जिला ग्वालियर, म.प्र., भारत, 474003 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल: 1196
श्री मनीष शाक्या श्रीमती प्रियंका शाक्या मनीष शाक्या पेंटर (प्रोस्पेक्ट नं. IL10367709)	09-अप्रैल-2026, रू. 649177/- (छह लाख उनचास हजार एक सौ सत्तर मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार है: प्लॉट संख्या 63, द्वारिकाधाम कॉलोनी, सर्वे संख्या 443, ग्राम-पुरानी छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474003, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 800

यदि उक्त उधारकर्ता उपर्युक्त अनुसार IIFL HFL को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो IIFL HFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपर्युक्त गिरवी संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जिसका जोखिम, लागत और परिणाम पूरी तरह से उधारकर्ताओं को वहन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालयः डी-1, भूतल, बसंत विहार, ग्वालियर - 474002 या कॉर्पोरेट कार्यालयः IIFL टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, चौथा चरण, गुड़गांव, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः ग्वालियर
दिनांकः 06.05.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ई-नीलामी द्वारा वाहन नीलामी की सूचना

क्षेत्रीय तनावग्रस्त अस्ति वसूली शाखा (आर.ओ.एस.ए.आर.बी.) ग्वालियर, प्रथमतल, बीएसएनएल बिल्डिंग, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. - 474011, मो.नं. 78801-53116, 89378-86644
E-mail: sarsag@bankofbaroda.co.in | Web : bankofbaroda.com

वाणिज्यिक वाहनों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन जो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'' एवं '' दायित्व रहित के आधार पर'' के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणीयों से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई–नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

उधारकर्ता व जमानतदार का नाम	बकाया राशि	वाहन का विवरण/रजिस्ट्रेशन नं.	आरक्षित मूल्य रु. / ईएमडी 10% / बिड वृद्धि राशि
ऋणी 1– श्री रविशंकर झा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद झा **A/c No. 24910600005306** पता : 1. छोटा लुहारपुरा, आईटीबीपी गेट के सामने शिवपुरी (म.प्र.)–473551 पता : 2. ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया पुरानी छावनी ए.बी. रोड़, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)–473551	रु. 25,50,856.63/- + ब्याज एवं शुल्क	Ashok Leyland MFG Year 2024, Goods Carrier RJ11GD0846, Engine No. RKPZ117112 Chasis No: MB1A5HCDXRAKS1950	Rs. 25,03,000/- 2,50,300/- 5000/-
ऋणी 2– श्री रविशंकर झा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद झा **A/c No. 24910600005307** पता : 1. छोटा लुहारपुरा, आईटीबीपी गेट के सामने शिवपुरी (म.प्र.)–473551 पता : 2. ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया पुरानी छावनी ए.बी. रोड़, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)–473551	रु. 26,01,373.58/- + ब्याज एवं शुल्क	Ashok Leyland MFG Year 2024, Goods Carrier RJ11GD0845, Engine No. RHPZ124427 Chasis No: MB1A5HCDORAHS3952	Rs. 25,03,000/- 2,50,300/- 5000/-

ई–नीलामी दिनांक 10.06.2026 दोपहर 2.00 से 6.00 बजे तक
विस्तृत नियम एवं शर्ते हमारे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाईट https://baanknet.com में उपलब्ध हैं

स्थानः ग्वालियर | दिनांक: 05/05/2026 | प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

RELIANCE Asset Reconstruction

रिलायंस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, आईसीसी चैंबर-II, साकी विहार रोड, एमटीएनएल कार्यालय के पास, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र- 400072

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से ऋण सुविधा प्राप्त की थी। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण खाता संख्या 123138000009 और 123138000008 के लिए ऋण खाते को 30/11/2021 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 31/03/2022 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के साथ-साथ सभी अंतर्निहित सुरक्षा हितों सहित रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आरएआरसी 071 ट्रस्ट - ट्रेंच 1 के न्यासी के पक्ष में हस्तांतरित किया।

उक्त कार्य सौंपे जाने के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30/03/2026 को पंजीकृत डाक द्वारा मांग नोटिस भेजे थे, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान किया गया था। हालांकि, चूंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग नोटिस तामील नहीं किए जा सके, इसलिए वैकल्पिक माध्यम से ये नोटिस उधारकर्ताओं को तामील किए जा रहे हैं।

विवरण इस प्रकार हैं:- 1. नील फाउंडेशन स्कूल, अधिकृत द्वारा प्रतिनिधित्व हस्ताक्षरकर्ता कुंज विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भिंड रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001, 2. श्री हरिजन एवं पिछड़ावर्ग सर्वोदय बालविकास शिक्षा समिति, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व अरोड़ा भवन शिंदे की छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001, 3. अरुणा चौहान पत्नी रवीन्द्र सिंह चौहान, गाँव-रतिभानपुर, रतिभानपुर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205001, 4. निरुपम सिंह पत्नी सुबेंद्र सिंह, 224 कुंड विहार कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001, 5. सुबेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह कुंज विहार कॉलोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001।

दिनांक 27/03/2026 तक बकाया राशिः रू. 1,22,36,389.26/- (एक करोड़ बाईस लाख छत्तीस हजार तीन सौ नवासी और छब्बीस पैसे मात्र)

सुरक्षित चल/अचल संपत्तियों का विवरणः - विद्यालय भवन का वह पूरा भाग, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग फुट, सर्वेक्षण संख्या 63/3, ग्राम दीनारपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः 25 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः शर्मा जी और रमला जी की संपत्ति, पूर्वः शर्मा जी की संपत्ति, पश्चिमः मुन्नी देवी की संपत्ति।

यदि उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि का 60 दिनों के भीतर भुगतान करने में असमर्थता होती है, तो अधोहस्ताक्षरी को SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त गिरवी संपत्तियों को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको संदर्भित किसी भी गिरवी संपत्ति से संबंधित लेन-देन या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टा या किसी अन्य माध्यम से हो। इस प्रावधान का उल्लंघन एक अपराध है और SARFAESI अधिनियम के तहत दंडनीय है।

स्थानः ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश राज्य
दिनांकः 06.05.2026

अधिकृत अधिकारी
रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड